

Publication : **The Patrika**
City : **Bhopal**
Date : **May 27, 2016**
Page

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के हित में पीएचडी चेम्बर ऑफ कॉमर्स का सेमिनार

भोपाल @ पत्रिका

mp.patrika.com

पीएचडी चेम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर सेमिनार आयोजित किया गया। सेमिनार में भारत सरकार द्वारा लागू की गई संशोधित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जानकारी सभी किसानों को प्रदान की गई। मुख्य अतिथि डॉ. राजेश राजोरा, प्रमुख सचिव-कृषि ने बताया कि नई बीमा योजना एक अप्रैल 2016 से लागू की गई है और इसे किसानों के हित में ध्यान रखकर तैयार किया है।

नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक के.आर.राव ने भी संबोधित किया। पीएचडी चेम्बर ऑफ कॉमर्स के



बीमा कमेटी के प्रमुख योगेश लोहिया ने कहा कि किसानों में जागरूकता लाना हमारा उद्देश्य है। इस अवसर पर पीएचडी चेम्बर ऑफ कॉमर्स के बीमा कमेटी के सह प्रमुख एसके सेठी, प्रेजिडेंट अवार्ड से सम्मानित सरपंच भक्ति शर्मा ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम के अंत में पीएचडी चेम्बर ऑफ कॉमर्स के रीजनल डायरेक्टर आरजी द्विवेदी ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया।

Publication : **The Nav Duniya**
City : **Bhopal**
Date : **May 27, 2016**
Page : **5**

पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स के सेमिनार में बोले प्रमुख सचिव कृषि डॉ. राजेश राजौरा

72 घंटे में दो ओलावृष्टि की सूचना, 15 दिन में खाते में होगी फसल बीमा राशि

भोपाल (काप्र)। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संशोधित नियमों के तहत अब किसान ओलावृष्टि की सूचना 48 घंटे की बजाए 72 घंटे में जिला प्रशासन और बीमा कंपनियों को दे सकते हैं। सूचना देने के 15 दिन के भीतर 25 फीसदी राशि किसान के खाते में आ जाएगी। इसके साथ ही फसल बीमा योजना के तहत क्षतिपूर्ति स्तर 80 फीसदी रखा गया है। यह जानकारी प्रमुख सचिव कृषि डॉ. राजेश राजौरा ने दी।

वे पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर आयोजित सेमिनार में बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि फसल बीमा योजना के तहत मग्न में



सेमिनार को संबोधित करते प्रमुख सचिव कृषि डॉ. राजेश राजौरा।

50 लाख किसानों को जोड़ने का लक्ष्य है। फसल बीमा योजना में किसानों को खरीब की फसल के लिए 2, रबी के लिए 1.50 और व्यवसायिक फसल के लिए 5 फीसदी राशि प्रीमियम के

रूप में जमा करानी है। बीमा दावा ऋण मान के अनुसार ही बनेगा। नाबार्ड के जीएम के.आर राव ने बताया कि मग्न में मात्र 20 फीसदी किसानों ने ही फसल बीमा कराया है।

मोबाइल पर मिलेगी बीमा की हर सूचना

राजौरा ने बताया कि प्रीमियम कटने की सूचना किसान के मोबाइल पर आएगी। वह मोबाइल एप के जरिए अपने वलैम की गणना भी कर सकेगा। यह व्यवस्था इसी साल से शुरु होगी। उन्होंने कहा कि खसरा-खतीनी, बोनी प्रमाण पत्र, घोषणा पत्र और आईडी कार्ड के साथ किसान प्रीमियम जमा कर फसल का बीमा करा सकता है। इश्योरेंस फाउंडेशन ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसीडेंट एसके सेठी ने बताया कि योजना में सभी फसलों को कवर किया गया है।

Publication : **The Dainik Jagran**
City : **Bhopal**
Date : **May 27, 2016**
Page : **7**

अब 15 दिन में किसानों के खाते में जमा होगी फसल बीमा राशि

व्यापार प्रतिनिधि, भोपाल। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों को अपनी फसल के पीएमः का शिफ्ट 2 प्रतिशत देना होगा, बाकी राशि मप्र और केंद्र सरकार देगी। वहीं नई 500 करोड़ प्राकृतिक स्वयं फसल के खिलाफ किसानों द्वारा भुगतान की किस्तों को बहुत नीचे गटा है जिससे हर स्तर का किसान आसानी से भुगतान कर सके और इसका लाभ ले सकेगा।

इसके साथ ही बीमा प्रीमियम तथा बीमा राशि का भुगतान बैंक खाते में जमा होने की सूचना भी एसएमएस पर भेजते मिलेंगी। यह जानकारी पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा होटल फ्लोर रेसिडेंस में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर आयोजित सेमिनार को संबोधित करते हुए प्रमुख सचिव कृषि डॉ. राजेश राजौरा ने अपने संबोधन में दी।

चार कागज देने पर मिलेगा बीमा

उन्होंने कहा कि किसानों के लिए यह योजना काफी आसान है, उन्हें 4 कागज खराब-



खतों की, बीमा का प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत से, स्वयं का घोषणा पत्र और एक फोटो चुनन आई कार्ड लेकर बीमा लेने जाना होगा। इस साल प्रदेश में धरीफ और रबी दोनों फसलों में 50-50 हजार किसानों के इस दायरे में लाने का लक्ष्य है।

नई योजना में 80 प्रतिशत खेत पूर्ण रबी गई है। कोई भी आपदा होने के बाद 48 घंटे में जिला प्रशासन में सूचना देना होगी तथा 72 घंटे में बीमा कंपनी को, इसके साथ ही कंपनी को 7 दिन में सर्वे करना होगा तथा 15 दिन में बीमा राशि किसान के खाते में जमा करनी

किसानों में जागरूकता लाना हमारा उद्देश्य

इस अवसर पर पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रमुख योगेश लोहिया ने कहा कि किसानों में जागरूकता लाना हमारा उद्देश्य है जिससे ज्यादा से ज्यादा किसान इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ ले सकें। इसके पूर्व दिल्ली में इस पर कार्यवाही हो चुकी है आने वाले वर्ष में होगी। इस अवसर पर पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स के बीमा कमिटी के सह प्रमुख एसके सेठी, प्रिंसिपल अडवाई से सम्मानित सरपंच भक्ति शर्मा, आईसीआई मोबाइल जनरल इंश्योरेंस के सह अध्यक्ष ध्यानेश मट्टे एवं कृषि उपज मंडी कर्पूर की अध्यक्ष बीमती श्यामा भागीरथ घटीदार ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम के अंत में पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स के रीजनल डायरेक्टर आरजी द्विवेदी ने आभार व्यक्त किया।

होगी। इसके साथ ही मप्र में किसानों के लिए इस की समय सीमा 1 अप्रैल से 31 जुलाई को जगह 16 अगस्त तक मान्य होगी। इस अवसर पर उन्होंने किसानों के रावालों के भी विस्तार से जखब दिए।

एक किसान को भी नुकसान होगा तो उसे बीमा राशि का भुगतान मिलेगा

इसके पूर्व नबाई के मुख्य महाप्रबंधक

केआर राव ने हिन्दी में अपने संबोधन में बताया कि सरकार ने इस बार बहुत ध्यान से योजना बनाई है, क्षेत्र या गांव के एक किसान को भी नुकसान होगा तो उसे बीमा राशि का भुगतान मिलेगा। उन्होंने मध्यप्रदेश को कृषि उत्पादकता में वृद्धि पर खुशी जाहिर की और उम्मीद जवाई की फसल बीमा योजना के लागू होने से आने वाले वर्ष में इतनेक किसान को इतना लाभ मिल सकेगा।

Publication : **The Hari Bhoomi**
City : **Bhopal**
Date : **May 27, 2016**

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर सेमिनार

यह खबर किसानों के लिए राहत भरी है कि बीमा राशि के प्रीमियम का सिर्फ 2 प्रतिशत ही देना होगा। यह जानकारी प्रमुख सचिव डॉ. राजेश राजोरा ने दी।

हरिभूमि न्यूज. भोपाल

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों को अपनी फसल के प्रीमियम का सिर्फ 2 प्रतिशत देना होगा, बाकी राशि मप्र और केन्द्र सरकार देगी। यही नहीं इसमें प्राकृतिक खराब फसल के खिलाफ किसानों द्वारा भुगतान की किस्तों को बहुत नीचे गया है जिससे हर स्तर का किसान आसानी से भुगतान कर सके और इसका लाभ ले सकेगा।

यह जानकारी पीएचडी चेंबर ऑफ कामर्स के होटल पलाश रेसीडेंसी में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर आयोजित सेमिनार को सम्बोधित करते हुए मुख्य अतिथि डॉ. राजेश राजोरा, प्रमुख सचिव कृषि ने दी। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए यह योजना काफी आसान है, उन्हें 4 कागज खसरा-खतोनी, बोनी का प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत से, स्वयं का घोषणा पत्र और एक फोटो युक्त आई कार्ड लेकर बीमा लेने जाना होगा। इस साल प्रदेश में

बीमा राशि के प्रीमियम का सिर्फ 2 % देंगे किसान



खरीफ और रबी दोनों फसलों में 50-50 हजार किसानों के इस दायरे में लाने का लक्ष्य है। नई योजना में 80 प्रतिशत क्षति पूर्ति रखी गई है। कोई भी आपदा होने के बाद 48 घंटे में जिला प्रशासन में सूचना देना होगी तथा 72 घंटे में बीमा कंपनी को, इसके साथ ही कंपनी को 7 दिन में सर्वे करना होगा तथा 15 दिन में बीमा राशि किसान के खाते में जमा करनी होगी। इसके साथ ही मप्र में किसानों के लिए इस की समय सीमा 1 अप्रैल से 31

जुलाई की जगह 16 अगस्त तक मान्य होगी। इस अवसर पर उन्होंने किसानों के सवालों के भी विस्तार से जबाब दिए।

बीमा राशि का भुगतान मिलेगा

इसके पूर्व नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक के.आर.राव ने हिन्दी में अपने सम्बोधन में बताया कि सरकार ने इस बार बहुत ध्यान से योजना बनाई है, क्षेत्र या गांव के एक किसान को भी नुकसान होगा तो उसे बीमा राशि का भुगतान मिलेगा।

उन्होंने मध्यप्रदेश की कृषि उत्पादकता में वृद्धि पर खुशी जाहिर की और उम्मीद जताई की फसल बीमा योजना के लागू होने से आने वाले वर्षों में प्रत्येक किसान को इसका लाभ मिल सकेगा।

किसानों में जागरूकता उद्देश्य

इस अवसर पर पीएचडी चेंबर ऑफ कामर्स के बीमा कमेटी के प्रमुख योगेश लोहिया ने कहा कि किसानों में जागरूकता लाना हमारा उद्देश्य है जिससे ज्यादा से ज्यादा किसान इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ ले सकें। इसके पूर्व दिल्ली में इस पर कार्यशाला हो चुकी है अगले माह रायपुर में होगी। इस अवसर पर पीएचडी चेंबर ऑफ कामर्स के बीमा कमेटी के सह प्रमुख एसके सेठी, प्रेजिडेंट अवार्ड से सम्मानित सरपंच भक्ति शर्मा, आईसीआई लोम्बार्ड जनरल इन्शुरन्स के सह अध्यक्ष ध्यानेश भट्ट एवं कृषि उपज मंडी करोंद की अध्यक्ष, श्यामा भागीरथ पाटीदार ने भी सम्बोधित किया।

Publication : **The People Samachar**
City : **Bhopal**
Date : **May 27, 2016**
Page : **16**

हर किसान को होगा नई फसल बीमा योजना का लाभ

● पीएचडी चेम्बर ऑफ कॉमर्स का सेमिनार

पीपल्स संवाददाता • भोपाल
editor@peoplesamachar.co.in

पीएचडी चेम्बर ऑफ कॉमर्स ने गुरुवार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर सेमिनार आयोजित किया। संशोधित फसल बीमा योजना की जानकारी किसानों को दी व समस्या का समाधान किया गया।

मुख्य अतिथि कृषि विभाग के प्रमुख सचिव डॉ राजेश राजौरा ने किसान को लाभ और बीमा सुरक्षा की जानकारी दी। उन्होंने योजना के



पीएचडी चेम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर आयोजित सेमिनार को संबोधित करते विशेषज्ञ।

मुख्य तथ्य बताया। कहा कि नई है। प्राकृतिक आपदा से खराब फसल को बहुत नीचे रखा है जिससे हर स्तर बीमा योजना एक अप्रैल से लागू की पर किसानों द्वारा भगतान की किश्तों का किसान आसानी से भगतान कर

लाभ ले सकें। मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड के आर राव ने मप्र की कृषि उत्पादकता में वृद्धि पर खुशी जताते हुए कहा कि इससे प्रत्येक किसान को लाभ मिलेगा। पीएचडी चेम्बर ऑफ कॉमर्स के बीमा कमेटी प्रमुख योगेश लोहिया ने कहा कि किसानों में जागरूकता लाना महत्वपूर्ण है, ताकि ज्यादा किसान योजना लाभ ले सकें। इस अवसर पर पीएचडी चेम्बर ऑफ कॉमर्स के बीमा कमेटी के सह प्रमुख एस के सेठी, प्रेजिडेंट अवार्ड से सम्मानित सरपंच भक्ति शर्मा, आईसीआई लोम्बार्ड जनरल इन्श्योरेंस के सह अध्यक्ष ध्वानेश भट्ट ने भी संबोधित किया।

Publication : **The Dabang Duniya**
City : **Bhopal**
Date : **May 27, 2016**
Page : **7**

किसान हितैषी है पीएम फसल बीमा योजना: डॉ. राजौरा



भोपाल। प्रमुख सचिव, कृषि डॉ. राजेश राजौरा ने पीएचडी चैम्बर ऑफ कामर्स द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर आयोजित सेमिनार को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के हित को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसमें प्राकृतिक आपदा से खराब फसल के लिए किसानों द्वारा भुगतान की किस्तों को बहुत नीचे रखा गया है, जिससे हर स्तर का किसान आसानी से भुगतान कर सके और इसका लाभ ले सके। वर्तमान में लागू पीएम फसल बीमा योजना के मुख्य तथ्यों के बारे में प्रतिभागियों को जानकारी दी। उन्होंने बताया की नई बीमा योजना एक अप्रैल 2016 से लागू की गई है।



PROGRESS HARMONY DEVELOPMENT

Estd. - 1905

Publication : **The DB Post**
City : **Bhopal**
Date : **May 25, 2016**

Seminar on crop insurance scheme

The MP PHD Chamber of Commerce & Industry is organising a seminar on Thursday. The seminar will focus on creating awareness and better understanding among the various stakeholders in the agriculture sector on the revamped of PM Fasal Bima Yojana. The sessions will be attended by senior officials from Union finance ministry, IRDA, banks and financial institutions.



PROGRESS HARMONY DEVELOPMENT

Estd. - 1905

Publication : The Dainik Bhaskar
City : Bhopal
Date : May 25, 2016

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर सेमिनार कल

भोपाल | पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक पर सेमिनार गुरुवार को होटल पलाश रेसीडेंसी में सुबह 10 बजे से होगा। इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जानकारी किसानों को प्रदान करना एवं उनकी समस्याओं का समाधान करना है। सेमिनार के प्रमुख अतिथियों में कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी, इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी नई दिल्ली के प्रबंध संचालक योगेश लोहिया, कृषि उत्पादन आयुक्त मप्र शासन प्रेमचंद मीणा और कृषि विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. राजेश राजोरा होंगे।



PROGRESS HARMONY DEVELOPMENT

Estd. - 1905

Publication : The Patrika
City : Bhopal
Date : May 25, 2016

पीएचडी चेम्बर की कार्यशाला कल

भोपाल. पीएचडी चेम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर सेमिनार 26 मई 2016 को होटल पलाश रेडीडेंसी भोपाल में सुबह 10 बजे आयोजन किया जा रहा है। सेमिनार का उद्देश्य भारत सरकार द्वारा लागू की गई संशोधित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो कि अप्रैल 2016 से प्रभावशील है की जानकारी सभी किसानों को प्रदान करना एवं किसानों की समस्याओं का समाधान करना है।



PROGRESS HARMONY DEVELOPMENT

Estd. - 1905

Publication : **The Nav Duniya**
City : **Bhopal**
Date : **May 25, 2016**

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर सेमिनार कल

भोपाल। पीएचडी चेम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर सेमिनार 26 मई 2016 को होटल पलाश रेडीडेन्सी भोपाल में सुबह 10 बजे आयोजित किया जा रहा है। सेमिनार का उद्देश्य भारत सरकार द्वारा लागू की गई संशोधित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जानकारी सभी किसानों को प्रदान करना एवं किसानों की समस्याओं का समाधान करना है। चेम्बर की क्षेत्रीय निदेशक आरजी द्विवेदी के मुताबिक सेमिनार में कृषि मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी, इफको टोकियो जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी नईदिल्ली के प्रबंध संचालक योगेश लोहिया, कृषि उत्पादन आयुक्त म.प्र. प्रेमचंद मीणा एवं कृषि विभाग के प्रमुख सचिव डॉ राजेश राजोरा उपस्थित रहेंगे।